न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 8/2025/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 17.01.2025
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रमेशचन्द पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली, निवासी ग्राम खातोली तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
.....अपीलान्ट

बनाम

1. पुष्पा बाई पत्नी काशीराम जाति माली, निवासी गणेशपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, कोटा

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री मुकेश मीणा, ललित नागर, अभिभाषक –अपीलांट
श्री विनीत अग्रवाल, अभिभाषक – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 30.07.2025

अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खातौली, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 20/2017 (नया 10/2024) बउनवान रमेशचन्द बनाम पुष्पाबाई वगे0 अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2024 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के द्वारा दिनांक 27.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि ग्राम कीरपुरा व ग्राम गोरधनपुरा की भूमि खसरा सं0 6/1 रकबा 1.60 है0 व खसरा संख्या 270 रकबा 0.47 है0, खसरा सं0 274 रकबा 0.53 है0 को जो बिहारीलाल पुत्र नारायण जाति माली के नाम दर्ज है को जरिये वसीयतनामा अपीलांट के नाम दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर तथा अप्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.12.2024 पारित किया गया कि ग्राम कीरपुरा व ग्राम गोरधनपुरा की भूमि

अति0सी0 आयुक्त
कोटा

खसरा सं0 6/1 रकबा 1.60 है0 व खसरा संख्या 270 रकबा 0.47 है0, खसरा सं0 274 रकबा 0.53 है0 किता 2 रकबा 1.00 है को बिहारी पुत्र नारायण जाति माली के स्थान पर पुष्पाबाई पुत्री शान्तिबाई पत्नि काशीराम जाति माली निवासी पीपल्दाकलां तहसील पीपल्दा के नाम दर्ज की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी जो खातेदार बिहारी पुत्र नारायण जाति माली निवासी–खातौली जिला कोटा–राज. के नाम दर्ज है तथा खातेदार बिहारी द्वारा अपने पुरूष संतान नही होनें के कारण अपीलान्ट को गोद लिया था, जिसका एक वसीयतनामा दिनांक 02.03.1990 को आलेखित किया था। जिसके द्वारा अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी अपीलान्ट को घोषित किया था। उक्त वसीयत के बाद दिनांक 01.10.1998 को खातेदार बिहारी पुत्र नारायण की मृत्यु हो जाने से उपरोक्त वसीयतनांमा दि० 02.03.1990 के आधार पर अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि को अपीलांट के नाम खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय में अनुरोध किये जाने पर अपीलांट का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 11.12.2024 से खारिज किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में कानूनी बिन्दुओं एवं प्रावधानों को समझने व विवेचना करनें में भूल की हैं। वसीयत के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वसीयत पंजीकृत होना आवश्यक नही है और यहां तक की वसीयत लिखित होना भी आवश्यक नही है तथा दो गवाहान की मौजूदगी में वसीयत किया जाना ही पर्याप्त माना गया है। वसीयत मौखिक या लिखित हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा वसीयत दिनांक 02.03.1990 जो पेश की गयी थी वह लिखित वसीयत थी। किन्तु मूल प्रति खो जाने के कारण फोटो प्रति पेश की गयी। वसीयत के समय अपीलान्ट मात्र शिशु बालक अवस्था में था, इसलिए वसीयत अपीलान्ट के पास मौजूद नही थी और उसके जन्म देने वाले माता पिता के पास थी, इसलिए अपीलान्ट मूल वसीयत पेश नहीं कर सका और धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत द्वितीय साक्ष्य के रूप में उपरोक्त छाया प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर प्रदर्शित कराने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था किन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त वसीयत के समय मौजूद गवाहान के बयान लेखबद्ध करने के लिए प्रार्थना की गयी किन्तु कई गवाहान होनें के बावजूद मात्र दो गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये और उन दो गवाहान क्रमशः रामरतन गुर्जर पुत्र हीरालाल गुर्जर निवासी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा और गोपाल पुत्र कन्हैया लाल जाति माली निवासी खातौली तहसील पीपल्दा

अधि०रा०स्त्रा० अधिकारी
कोटा

जिला कोटा नें न्यायालय के समक्ष सशपथ अपने बयान लेखबद्ध करायें है, जिसमें यह कथन किया है कि स्वर्गीय बिहारीलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी खातौली नें अपने जीवनकाल में उपरोक्त गवाहान की मौजूदगी में वसीयतनामा आलेखित किया था, जो शामिल पत्रावली है और उस पर उक्त गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर करना तथा वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना स्वीकार किया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो० क्रम 1 को स्व० बिहारीलाल की पुत्री मानकर खातेदारी दर्ज करनें का निर्णय दिया है तथा रेस्पो० क्रम 1 स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में जो बयान लेखबद्ध करायें हैं, उसमें यह स्वीकार किया है कि "मेरे नाना जी का पगडी दस्तूर रमेशचन्द के हुआ था।" जो यह साबित करता है कि अपीलान्ट स्व० बिहारीलाल का गौद पुत्र था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवेचन किया गया कि "पूर्वोवत वर्णित माननीय न्यायालयों की रोशनी में हम यह पातें है कि इस प्रकार फोटो प्रति अपंजीकृत गौदनामें कम वसीयतनामें के आधार पर इस न्यायालय द्वारा हक तय नही किये जा सकते। यह माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा विचारणीय है।" ऐसी स्थिति में जब माननीय अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मानतें हैं, तो उनके द्वारा रेस्पो० क्रम 1 का नाम बिहारीलाल पुत्र नारायण जी के स्थान पर दर्ज करनें का आदेश दिया ही नही जा सकता था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.12.2024 अपास्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अपीलांट के द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि ग्राम कीरपुरा की आराजी खसरा नम्बर 6/1 रकबा 1.60 हैक्टेयर वाके ग्राम कीरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा एवं खसरा नंबर 270 की रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 की रकबा 0.5300 हैक्टेयर ग्राम गोरधनपुरा, पटवार हल्का खातोली, भू अभि. निरी. खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। उक्त आराजी एवं चल अचल सम्पत्ति के सम्बंध में बिहारी लाल पुत्र नारायण के द्वार एक वसीयत दिनांक 02.03. 1990 को गवाहों की उपस्थिति में आलेखित कर निष्पादित करवाई गई है। वसीयत के गवाहों के बयान माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष करवाये गये तथा स्वयं अपीलांट ने भी अपने बयान माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। उप तहसील खातोली के द्वारा एक

अति०सं०आयुक्त
कोटा

रिपोर्ट पटवार मण्डल खातोली से दिनांक 20.7.2016 को मंगवाई गई, जिसमे बिहारी लाल जी की मृत्यु दिनांक 1.10–1998 को होना बताया गया तथा संपूर्ण सामाजिक संस्कार अपीलांट के द्वारा किया जाना बताया गया और अपील को वसीयत दिनांक 2.3.1990 के आधार पर चल अचल सम्पत्ति का मालिक होना बताया गया। चूंकि स्व. बिहारी लाल जी के एक पुत्री व पत्नी थी जिसकी मृत्यु बिहारी लाल जी के जीवनकाल में ही हो चुकी है। बिहारी लाल जी ने स्थिर बुद्धि व स्वस्थ चित्त अवस्था में अपीलांट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है। चूंकि स्व. बिहारी लाल जी उक्त सम्पत्ति के एक मात्र मालिक है इसलिए उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। परंतु माननीय अधीनस्थ न्यायानय ने उपरोक्त आराजी का नामांतरकरण प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में तस्दीक ना कर अपने निर्णय दिनांक 11.12.2024 के आधार पर श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी काशीराम निवासी गणेशपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा के पक्ष में दर्ज करने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की वसीयत पर समुचित निर्णय पारित नही किया है, जबकि अपीलांट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के दोनों गवाह रामरतन गुर्जर व गोपाल लाल ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मार्च 1990 में सपूर्ण सम्पत्ति का वसीयतनामा अपने भाई के पोते रमेश चंद पुत्र रामचन्द्र के पक्ष में आलेखित कर निष्पादित की है जिसमें बतौर गवाह रामरतन गुर्जर व गोपाल लाल ने अपने हस्ताक्षर किए है। वसीयत दोनों गवाहों के द्वारा साबित थी क्योंकि जिस सम्पत्ति की वसीयत की गई थी वह सम्पत्ति स्व. बिहारी लाल जी की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। वसीयत का स्पष्ट रूप से कानून है कि वसीयत सादा पेपर पर भी की जा सकती है। वसीयत का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है। वसीयत करने वाले की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार स्व. बिहारी लाल जी ने अपनी सम्पत्ति की वसीयत अपीलांट रमेशचंद के पक्ष में आलेखित कर निष्पादित करवाई है इसलिए वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में माननीय अधीनस्थ न्यायालय को नामांतरण दर्ज किए जाने का निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में त्रुटिपूर्ण विवेचन किया कि वसीयत को सिविल न्यायालय से तय कराकर लाना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय गोविंद भाई छोटा भाई पटेल बनाम पटेल रमण भाई, माथुर भाई के निर्णय दिनांक 23.9.2019 को यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि वसीयत को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एवं धारा 68 साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साबित किया जाना चाहिए। जिसके लिए अपीलांट ने स्वयं के बयान तथा वसीयत में उल्लेखित दो गवाहों के बयान माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष करवाए है, जिसमें दोनों गवाहों ने माननीय

अति.सं. आयुक्त
कोटा

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत का होना प्रमाणित माना है। अधनीस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह विवेचन किया कि वसीयत की छाया प्रति एवं अप्रमाणित एवं अपंजिकृत वसीयत दिनांक 2.3.1990 के आधार पर स्व. बिहारी लाल जी की भूमि में रमेश चंद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय यह कथन त्रुटिपूर्ण है कि वसीयत का पंजिकृत होना आवश्यक है। जबकि वसीयत की असल प्रति कहीं खो गई है, इस सम्बंध में अपीलांट ने एक शपथ पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है तथा अपीलांट ने एक प्रार्थना–पत्र धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया और उसके बावजूद वसीयत को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पढे जाने की अनुमति प्रदान की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह विवेचिन किया कि फोटो प्रति दस्तावेज है जिसे साक्ष्य में पढा नही जा सकता। अधीनथ न्यायालय ने धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत द्वितियक साक्ष्य की अनुमति प्रदान कर दी तो उसे फोटो प्रति दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। नामांतरकरण की प्रक्रिया संक्षिप्त प्रक्रिया है। जिसमें किसी भी पक्षकार के हक अधिकार तय नहीं होते है। नामांतरण की प्रक्रिया में वसीयत के बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. के हक अधिकार को ही तय कर दिया है। अपीलांट उक्त सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 2.3.1990 के आधार पर एक मात्र मालिक, स्वामी, काबिज होकर उपयोग–उपभोगत करता चला आ रहा है तथा विगत 30–35 सालों से काबिज काश्त होकर काश्त करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामा को गोदनामा माना है, जबकि स्व. बिहारीलाल जी ने वसीयत दिनांक 2.3.1990 मे उक्त वसीयतनामा अपनी उक्त चल अचल सम्पत्ति के सम्बंध में आलेखित कर निष्पादित किया है। मात्र वसीयत के अंदर दत्तक पुत्र रमेश को रखने होना मानते हुए उक्त वसीयतनामे को गोदनामा माना है। जो माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने गलत अर्थ निकला है जबकि वसीयत दिंनाक 2.3.1990 की प्रथम लाईन पर ही वसीयतनामा चल व अचल सम्पत्ति के सम्बंध मे आलेखित किया हुआ लिखा गया है। इसलिए वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2024 अपास्त किया जावे एवं अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत नामांतरकरण खोले जाने का प्रार्थना पत्र वसीयत दिनांक 2.3.1990 के आधार पर खोले जाने बाबत स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में स्व. बिहारी लाल जी की दोनो ग्रामों की भूमि का नामांतरकरण दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट का नाम दर्ज किए जाने आदेश नायब तहसीलदार उप तहसील खातोली को फरमाया जावे।

20-7-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि तहसीलदार श्योपुर द्वारा पत्रांक दिनांक 05.10.2016 के द्वारा नायब तहसीलदार खातौली के पत्र दिनांक 02.09.2016 के क्रम में रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें शांतिबाई पत्नी रतनलाल जाति माली निवासी सोंठवा के विधिक वारिसानों की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर पटवारी सोंठवा से प्रतिवेदन मय पंचनामा के प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शांतिबाई पत्नी रतनलाल के विधिक वारिसानों में पुसब पुत्री रतनलाल है। इसके अलावा कोई विधिक वारिसान नहीं होना बताया गया है। अपीलांट के द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वसीयत पेश की गई वह अनरजिस्टर्ड है तथा फोटो प्रति पेश की गई है, जिसकी मूल प्रति पेश नहीं की गई। इस प्रकार प्रस्तुत फोटो प्रति से दस्तावेज की प्रमाणिकता साबित नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय ने भी यह माना है कि अपीलांट के द्वारा मात्र उक्त दस्तावेज को गुम होना बताया है, जबकि इस बंध में कोई एफआईआर की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही उक्त फोटोप्रति दस्तावेजी साक्ष्य केवल मात्र अवलोकन एवं पठनीय कार्य हेतु ही स्वीकार किया गया है न कि मूल प्रति की भांति उपयोग किया जाना माना है। प्रश्नगत वसीयत के संबंध में मुताबिक बयान गवाह महावीर पुत्र गोपाल माली खातोली ने अपीलांट को बिहारीलाल का गोद होना बताया, किंतु वसीयत की जानकारी नहीं होना जाहिर किया गया। इसी प्रकार गवाह महावीर आत्मज भैरूलाल के द्वारा भी अपीलांट को बिहारीलाल का गोद होना बताया गया तथा वसीयत की कोई जानकारी नहीं होना जाहिर किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति से अनरजिस्टर्ड वसीयत के संदेहास्पद होने से उक्त दस्तावेज की वैधता एवं अवैधता ग्राह्यता या अग्राहयता के संबंध में क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विवेचित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह माना है कि अपंजीकृत छायाप्रति गोदनामा कम वसीयतनामा जो अपीलांट द्वारा असल प्रस्तुत नहीं किया गया, न वह पंजीबद्ध है और न हीं सिविल न्यायालय द्वारा इसे तय किया गया है। साथ ही प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मृतक बिहारीलाल पुत्र नारायण माली की एकमात्र जायन्दा पुत्री शान्तिबाई के एकमात्र जायन्दा पुत्री पुष्पाबाई रेस्पो0 विविध उत्तराधिकारी होना प्रमाणित माना है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2021(3) CCC (M.P.) page no. 24, 2024(1) CCC (Raj.) page no. 10, 2023(3) CCC (All) page no. 406 पेश किये।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

6. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट के द्वारा दिनांक 27.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि ग्राम कीरपुरा व ग्राम गोरधनपुरा की भूमि खसरा सं0 6/1 रकबा 1.60 है0 व खसरा संख्या 270 रकबा 0.47 है0, खसरा सं0 274 रकबा 0.53 है0 को जो बिहारीलाल पुत्र नारायण जाति माली के नाम दर्ज है को जरिये वसीयतनामा अपीलांट के नाम दर्ज की जावे। साथ ही रेस्पो0 पुष्पा बाई पुत्री शान्ति बाई के द्वारा भी दिनांक 23.09.2016 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मृतक बिहारी लाल के स्थान पर उनके वारिसान का नाम नियमानुसार फौती नामांतरकरण दर्ज करने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा फोटोप्रति अपंजीकृत गोदनामे कम वसीयतनामे के आधार पर भूमि पर हक तय नहीं किये जाने से तथा उक्त विषय सिविल न्यायालय के द्वारा विचारणीय होने से अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर तथा अप्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.12.2024 पारित किया गया कि ग्राम कीरपुरा व ग्राम गोरधनपुरा की भूमि खसरा सं0 6/1 रकबा 1.60 है0 व खसरा संख्या 270 रकबा 0.47 है0, खसरा सं0 274 रकबा 0.53 है0 किता 2 रकबा 1.00 है को बिहारी पुत्र नारायण जाति माली के स्थान पर पुष्पाबाई पुत्री शान्तिबाई पत्नि काशीराम जाति माली निवासी पीपल्दाकलां तहसील पीपल्दा के नाम दर्ज की जावे।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा अनरजिस्टर्ड तहरीर पेश की गई है, वह भी असल नहीं होकर फोटोप्रति पेश की गयी है। उक्त तहरीर में गोद एवं वसीयत का सम्मिलित वर्णन होने से यदि अपीलांट को अधिकार तय कराने हो तो सक्षम सिविल न्यायालय से चाराजोही करनी होगी। इस संबंध में प्रकरण में रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जो निम्नानुसार प्रतिपादित किये गये :–

2024(1) CCC (Raj.) page no. 10
S.B. Civil Writ Pet. No. 205 of 2023, D/22-08-2023
Narayan & Anr.
Vs
Heeral Lal & Ors

(i) Mutation – Mutation entries in revenue record are only for a fiscal purpose and does not create any title/ownership right in favour of person in whose name mutation entry has been made.

अति० सं० आयुक्त
कोटा

(ii) Civil procedure Code, 1908, S.9, Rajasthan Tenancy Act, 1955, S.207- Jurisdiction of Civil Court- Suit fro declaration of a tenant's right –Comes under third schedule of Act of 1955- However, a suit for determination of legal heirs does not- Before approacing Revenue Authorities, for mutation, parties to approach Civil Court of competent jurisdiction, to decide the question of legal heirs.

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह विवेचन किया गया कि अपीलांट द्वारा गोदनामा असल प्रस्तुत नहीं किया गया, न वह पंजीबद्ध है और न ही सिविल न्यायालय द्वारा इसे तय किया गया है। साथ ही प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट के द्वारा गोदनामा कम वसीयतनामा सक्षम सिविल न्यायालय से प्रमाणित करवाये जाने के संबंध में न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न हीं न्यायालय हाजा में ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया, जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों पर विस्तृत विवेचन किया जाकर निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अनरजिस्टर्ड तहरीर की फोटोप्रति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय का अधिकार नहीं होने से हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2024 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खातौली, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 20/2017 (नया 10/2024) बउनवान रमेशचन्द बनाम पुष्पाबाई वगे0 अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2024 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रकट नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

30-7-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
अति. संभागायुक्त
कोटा